कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:– शिविरा/माध्य/साप्र/रासेयो/पीएफएमएस/2018/ दिनांक : 5/3/2018

अति–आवश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा प्रथम/द्वितीय,

विषय – एन.एस.एस. संबंधी सूचनाओं के साथ निदेशालय में आयोजित पीएफएमएस पोर्टल एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होने बाबत।

संदर्भ – राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप 4अ) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक– प 7 (3)शिक्षा/4अ/2017PFMS जयपुर दिनांक 22.02.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान सत्र 2017–18 से राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि को पीएफएमएस (Public Finance Mangement System) पोर्टल के माध्यम से ही दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य की समस्त एन.एस.एस. संचालित इकाइयों (विद्यालयों) का पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। उक्त रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार द्वारा **<u>अंतिम तिथि 12 मार्च, 2018</u>** दी है तथा उक्त अवधि तक जो संस्थाऐं इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए इन ईकाइयों को स्ववित्तपोषी इकाई के रुप में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

पीएफएमएस पोर्टल के प्रशिक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर **<u>दिनांक 7 मार्च, 2018</u>** को एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर से आए पीएफएमएस पोर्टल प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ही आपके अधिनस्थ समस्त एनएसएस संचालित विद्यालयों का पीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तथा पूर्व में इस पोर्टल से जुड़े विद्यालयों को एनएसएस स्कीम से मैपींग का कार्य करवाया जाएगा।

अतः निदेशालय में आयोजित उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आपके कार्यालय के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (जिला कार्यक्रम समन्वयक एनएसएस) एवं एक कम्प्यूटर जानकार कार्मिक को निम्न सूचनाओं के साथ मय लेपटॉप एवं इंटरनेट डोंगल लेकर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।

पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक विवरण एवं दस्तावेज

1.	विद्यालय का पूरा नाम	
2.	विद्यालय का पूरा पता, ग्राम, तहसील, जिला,	
3.	विद्यालय पता पीनकोड	
4.	विद्यालय बैंक खाता नंबर	
5.	बैंक पता	
6.	विद्यालय बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड	
7.	बैंक का ब्रांच कोड	

www.rajteachers.com

8.	प्रधानाचार्य का नाम	
9.	प्रधानाचार्य का मोबाईल नंबर	
10.	कार्यक्रम अधिकारी का नाम	
11.	कार्यक्रम अधिकारी का मोबाईल नंबर	
12.	विद्यालय का gmail address	
13.	स्कूल का लैंड लाईन नंबर मय एसटीडी कोड (यदि हो)	
14.	विद्यालय का एक कैंसील चैक जिस पर विद्यालय का नाम, बैंक एकाउंट नंबर तथा आईएफएससी कोड स्पष्ट छपा हो साथ लावें।	
15.	विद्यालय के बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ट की प्रति जिस पर विद्यालय का विवरण आ रहा हो।	

उक्त **सूचनाओं की एक सॉफ्ट प्रति एक्सल फाईल .exl में तथा एक हस्ताक्षरित प्रति साथ** लेकर आवे।

एनएसएस संचालित समस्त विद्यालयों की सूचनाऐं आवश्यक रुप से एकत्रित करें कोई भी **एनएसएस संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसकी 11 व 12 की विद्यार्थी संख्या** 100 से अधिक **है अपने स्तर पर एनएसएस योजना का संचालन बंद नहीं करेंगे।**

इसके अतिरिक्त पूर्व में चाही गई निम्न सूचनाओं की भी एक प्रति .exl में तथा एक हस्ताक्षरित प्रति साथ लेकर आवें :-

1. वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में विद्यालयों को अन्तरण राशि एवं उनके द्वारा खर्च की वास्तविक राशि का विवरण (निर्धारित प्रारुप में)।
2. दिसम्बर 2017, जनवरी 2018 एवं फरवरी 2018 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन। (निर्धारित प्रारुप में)
3. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में आयोजित विशेष शिविर की रिपोर्ट (निर्धारित प्रारुप में)।

पीएफएमएस पोर्टल पर 12 मार्च, 2018 तक जो संस्थाऐं इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे उन्हें भारत सरकार के निर्देशानुसार स्ववित्तपोषी इकाई के रुप में परिवर्तित कर भविष्य में अनुदान नहीं दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने अधिनस्थों को मय आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज सहित प्रशिक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि –

1. राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

www.rajteachers.com

उपनिदेशक (प्रशासन) एवं कार्यक्रम समन्वयक,
रासेयो +2 स्तर, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।